कार्यालय मुख्य अग्नि शमन अधिकारी देहरादून/उत्तरकाशी।

पत्रांकः न–9/स्कू0भ0मा0–U-PO-66-2022 दिनांकः नवम्बर, 28 2022

सेवा में,

प्रधानाचार्य/प्रबन्धक
गोस्वामी गणेश दत्त सरस्वती विद्या मन्दिर
(GOSWAMI GANESH DUTT SARASWATI VIDYA MANDIR)
जनपद–उत्तरकाशी।

विषय **अग्नि सुरक्षा व्यवस्था सम्बन्धी पूर्णता प्रमाण पत्र (Pre-Operational) विषयक।**

कृपया आपके द्वारा अग्निशमन एंव आपात सेवा उत्तराखण्ड की बैबसाईट पर आवेदित यूनिक नम्बर 43065716 दिनांक 01.11.2022 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा गोविन्द निवास वार्ड नं0–06, जनपद उत्तरकाशी में निर्मित शैक्षणिक भवन (GOSWAMI GANESH DUTT SARASWATI VIDYA MANDIR) हेतु अग्नि शमन सुरक्षा व्यवस्था सम्बन्धी अन्तिम अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान किये जाने की अपेक्षा की गई है।

उक्त के क्रम में प्रश्नगत शैक्षणिक भवन का निरीक्षण प्राथमिक अग्नि सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिकोण से प्रभारी/अग्निशमन अधिकारी उत्तरकाशी द्वारा किया गया एवं संस्तुति आख्या दिनांक 14.11.2022 को इस कार्यालय को प्रेषित की गई। निरीक्षण आख्या निम्नवत् हैः–

1. निरीक्षण की तिथि को प्रश्नगत भवन तक अग्निशमन का वाहन पहुँच सकता है।
2. निरीक्षण की तिथि को प्रश्नगत भवन के ऊपर से कोई हाईटेंशन लाईन नही गुजर रही है।
3. निरीक्षण की तिथि को भवन भूतल एवं अग्रेत्तर दो तल में निर्मित है।
4. निरीक्षण की तिथि को प्रश्नगत भवन में 05 हजार लीटर क्षमता का भूमिगत पानी टैंक तथा भवन के टैरिस में 2500 लीटर क्षमता का टैरिस टैंक का प्राविधान किया गया है।
5. निरीक्षण की तिथि को प्रश्नगत भवन में 01 अद्द होजरील का प्राविधान किया गया है।
6. निरीक्षण की तिथि को प्रश्नगत भवन में फायर अलार्म का प्राविधान किया गया है।
7. निरीक्षण की तिथि को प्रश्नगत भवन में 12 अद्द ए0बी0सी0 (04 किग्रा0 क्षमता) तथा 01 अद्द सी0ओ0टू0 (4.5 किग्रा0 क्षमता) का प्राविधान किया गया है।
8. प्रश्नगत भवन के निकास मार्गो/सैट बैक को सदैव साफ (Clear) व अवरोध रहित रखा जाए, इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व भवन स्वामी का होगा। भवन के चारों तरफ छोड़े गये सैट बैक में किसी प्रकार का अतिक्रमण, निर्माण या अस्थाई ढांचा नहीं बनाया जायेगा।
9. भवन विस्तार/अतिरिक्त निर्माण करने पर अलग से अग्निशमन विभाग से अग्निशमन व्यवस्था का कार्यशीलता प्रमाण पत्र लिया जाना आवश्यक होगा।

अतः उपरोक्त अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं के आधार पर गोविन्द निवास वार्ड नं0–06, जनपद उत्तरकाशी में निर्मित शैक्षणिक भवन (GOSWAMI GANESH DUTT SARASWATI VIDYA MANDIR) हेतु अग्नि सुरक्षा व्यवस्था सम्बन्धी पूर्णता प्रमाण पत्र (Pre-Operational) प्रदान किये जाने में अग्नि शमन विभाग को कोई आपत्ति नही है। वशर्ते भवन स्वामी/सोसाइटी/प्रश्नगत भवन में की गई अग्नि सुरक्षा व्यवस्था को सदैव उच्च स्तर का बनाये रखेंगे साथ ही की अग्नि शमन विभाग द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन सुनिश्चत करेंगें। उत्तराखण्ड शासन, गृह अनुभाग–03 की अधिसूचना संख्या–342/XX-3/2021-2(39)/2006 देहरादूनः दिनांक 29 नवम्बर, 2021 के अनुपालन में उक्त व्यवस्था के कार्यशील होने का स्व–घोषणा प्रमाण पत्र/Audit Report प्रति छः माह में प्रस्तुत/अपलोड करना अनिवार्य होगा। उक्त प्रमाण पत्र जारी करने के दिनांक से 03 वर्ष की अवधि तक के लिए वैध होगा। यदि उपरोक्त अग्निसुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र से सम्बन्धित भवन या अधिभोग के आकार, प्रकृति, प्रयोजन या स्थान में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन किया जाता है, तो अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र नये सिरे से लिया जाना अनिवार्य होगा। यह प्रमाण पत्र अवैध निर्माण को वैध करने के लिए मान्य नहीं होगा। प्रश्नगत भवन में स्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्था के संचालन हेतु प्राथमिक अग्निशमन प्रशिक्षण प्राप्त सुरक्षा कर्मियों को रखेगें ताकि किसी आकस्मिकता के समय त्वरित अग्निशमन कार्य किया जा सके। भवन में फायर सर्विस का टेलीफोन नम्बर–01374–222201 एंव पुलिस कन्ट्रोल रूम का टेलीफोन नम्बर–100, 112 एवं एम्बूलेन्स का टेलीफोन नं0–108 अंकित करेगें। ऐसा न करने पर जारी प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।

(आर0 एस0 खाती) 28/11/22
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
देहरादून/उत्तरकाशी।

28-6-23
PRINCIPAL
Goswami Ganesh Dutt
Saraswati Vidya Mandir
Uttarkashi, Uttarakhand

28/6/23
Manager
Goswami Ganesh Dutt
Saraswati Vidya Mandir
Uttarkashi, Uttarakhand